

27/01/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपर्युक्त
प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने के
पर्याप्त अवसर दिये बावजूद पेश नहीं
किये, अतः वादी का वाद Non-Complain
(अपमान) में खारिज किया जा रहा है।
पत्रावली जिसका शुमार होकर खारिज
दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन

